कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2599 **/11–सी–FP/UP/TRANS/47261//2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल** 09 **,2021**

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– जनपद–एटा के अर्न्तगत एटा रेलवे स्टेशन से 2 X 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 किमी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 3.8386 हे0 आरक्षित वनभूमि) कुल 4.2069 हे0 भूमि का गैर प्रयोग में 05 वृक्ष एवं 228 पौधे/झाड़ी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव **FP/UP/TRANS/47261//2020**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1988/14–1 दिनांक 06.04.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही हो तो प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

2– प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग–2 में व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड करें।

3– प्रस्ताव के साथ इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण संलग्न की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 गणना संलग्न करे।

4– मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

5– ऑनलाईन भाग–2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग–अलग फीड नहीं किया गया है।

6– ऑनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है। अतः ऑनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड कर धनराशि भी फीड करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2599**/11–सी– FP/UP/TRANS/47261//2020, दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा।

2– अधीक्षण अभियन्ता, जनपद निर्माण–द्वितीय, 2X660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन, एटा (उ0प्र0)

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।